कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोंण्डा वन प्रभाग,गोंण्डा।

पत्रांक 3921 /33–1, दिनांक, गोंण्डा, अप्रैल 28/2022

सेवा में,

सुप्रीटेन्डिंग इंजीनियर,
वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट सर्किल,
पी0डब्लू0डी0 लखनऊ।

विषयः– जनपद गोण्डा के अर्न्तगत बहराइच–गोण्डा मार्ग कि0मी0 40.200 से 64.232 तक एस0एच0–30 के शुद्धिकरण एंव उच्चीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 2026/ई0एन0यू0/डब्लू0बी0वाई0सी0/2021–22 दिनांक 12.01.2022 एंव इस कार्यालय का पत्रांक 2605/33–1 दिनांक 31.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण के क्रम में इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जो क्षेत्रीय वनाधिकारी कटरा बाजार एंव गोण्डा रेंज को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है, किन्तु अबतक वन विभाग एंव पी0डब्लू0डी0 विभाग का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण होकर प्रभावित वृक्षों की चिन्हॉकन सूची इस कार्यालय को प्राप्त नही हुआ है। साथ ही साथ आप द्वारा प्रस्तुत विषयांकित प्रकरण के हार्डकॉपी का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्ताव हेतु अभिलेखों की चेकलिस्ट से परीक्षण करने पर अत्यधिक अभिलेखों का अभाव एंव त्रुटिया पाया जा रहा है।

अतएंव आप द्वारा प्रंस्तुत विषयांकित प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर चेकलिस्ट से परीक्षण करते हुए आवश्यक अभिलेखों को पूर्ण कर इकनॉलेजमेंट सहित संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय में शीघ्र प्रस्तुत करें, ताकि नियमानुसार शीघ्र ही अग्रेत्तर कार्यवाही किया जा सके।

(आर0के0त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

संख्या 3921 अ/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय वनाधिकारी गोण्डा एंव कटरा रेंज को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एंव इस निदेश के साथ प्रेषित की प्रभावित वृक्षों का चिन्हॉकन कर संयुक्त स्थलीय रिपोर्ट मय प्रजातिवार सीनामाप सहित शीघ्र प्रस्तुत करें।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय वनाधिकारी पंडरीकृपाल, टिकरी, सा0 नगर, रेहरा तथा उतरौला व कुआना रेंज को उपरोक्तानुसार इस आशय से प्रभावित संरक्षित वन भूमि 32.0352 हे0 के दुगने क्षेत्रफल 64.0.70 हे0 आरक्षित वन भूमि में कम से कम 15 हे0 अपने अपने रेंज से चयन कर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रिक्त स्थल शीघ्र जी0पी0एस0 रीडिंग प्रस्तुत करें।

(आर0के0त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

vfc901